सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 256 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :–04.12.2023

GCMS ID–2023 / 121

1. हजारी आ0 जेराम जाति गुर्जर निवासी पानीढाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 15 / 05 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 119 खसरा संख्या 452 / 144 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 483 / 375 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम कराडखेडी पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि शान्ति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर निरन्तर, निर्बाध रूप से फसल बोया जोता एवं काटता चला आ रहा है। प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 452 / 144 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 483 / 375 रकबा 0.1619 हैक्टेयर की ऑनलाईन रिकॉर्ड में सहवन से मौके के अनुरूप तरमीम नहीं होकर गलत तरमीम अंकित हो गई तथा मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं की गई है, इसलिए प्रार्थी की भूमि की तरमीम मौके अनुसार किया जाना आवश्यक है। तथा तरमीम का आधार ही मुख्य रूप से कब्जा होता है, इसलिए गलत तरमीम निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि की, की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करके मौके के अनुसार सही तरमीम नहीं की गई तो आस पडोस काश्तकारों के मध्य तरमीम को लेकर वाद विवाद बढ जायेगा इसलिए गलत तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के अलावा प्रार्थी के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। प्रार्थी की भूमि की वास्तविक कब्जे के अनुरूप जॉच रिपोर्ट मंगवायी जाकर सही तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.10.2023 को कम्प्यूटर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस लेने पर गलत तरमीम की जानकारी हुई तब प्रार्थी ने दिनांक 25.10.2023 को उक्त गलत तरमीम निरस्त करने हेतु तहसीलदार साहब से मिला परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि बाद न्यायालय आदेश के ही गलत तरमीम को दुरूस्त किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थी श्रीमान के उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। अन्दर अवधी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त गलत तरमीम के ऑनलाईन इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की खाते की भूमि खाता संख्या 119 खसरा संख्या 452/144 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 483/375 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम कराडखेडी पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की, की गई गलत तरमीम को निरस्त कर मौके एवं कब्जे के अनुरूप तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक :-राजस्व/24/4210 दिनांक 23.12.2024 अनुसार ग्राम कराडखेडी के खाता संख्या 119 में से. खसरा संख्या 452/144 रकबा 0.6475 हैक्टेयर पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तथा मूल खसरा नम्बर 144 में भी अन्य किसी भी स्थान पर खातेदार कृषक का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त खसरा नम्बर पर तरमीम दुरूस्ती अपेक्षित नहीं है। खाता संख्या 119 ग्राम कराडखेडी में से खसरा नम्बर 483/375 रकबा 0.1619 हैक्टेयर पर वर्तमान कम्प्यूटराईज जमाबंदी में डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना अन्तर्गत की तरमीम पर खातेदार का कब्जा न होकर अन्य का कब्जा है, खातेदार के कब्जे वाले स्थान को नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त स्थान पर खसरा नम्बर 483/375 की तरमीम अपेक्षित है। नजरी नक्शे में प्रस्तावित तरमीम अनुसार तरमीम शुद्धि की जानी है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।''

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ग्राम कराडखेडी के खसरा संख्या 452/144 व 483/375 की तरमीम दुरूस्ती बाबत पेश किया है। उक्त भूमिया प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के खसरा संख्या 452/144 पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होना व मूल खसरा नम्बर 144 में भी प्रार्थी का कही कब्जा काश्त नहीं होने से खसरा नम्बर 452/144 की तरमीम में कोई शुद्धि अपेक्षित नहीं है एवं मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि वाके कराडखेडी पटवार मण्डल चतरगंज के खाता संख्या 119 के खसरा संख्या 483/375 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 119 के खसरा संख्या 483/375 रकबा 0.1619 हैक्टैयर वाके ग्राम कराडखेडी पटवार मण्डल चतरगंज की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खाता संख्या 119 के खसरा संख्या 483/375 की तरमीम प्रार्थी के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 15.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

15/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446